राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नालागढ, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश की छात्र निधियों की लेखों का परीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 4/06 से 3/12

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु की गई कार्रवाई के सत्यापनोपरान्त नवीनतम स्थिति निम्न वर्णित है। अनिर्णीत पैरों के पूर्ण निपटारे हेतु अविलम्ब कार्यवाही करके इस विभाग को अवगत करवाए।

(क) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/77 से 3/81

1	पैरा–9 (ए) (4)	अनिर्णीत

(ख) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/83 से 3/86

1	पैरा–7 (एच)	अनिर्णीत

(ग) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/94

1	पैरा–9 (4)	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (5)	आंशिक रूप से निर्णीत नोटः– चैक नं0 410263 दिनांक 03.10.92 ₹3000/– से सम्बन्धित अनुपालना देख ली गई
3	पैरा–10 (घ)	अनिर्णीत
4	पैरा–10 (ड)	अनिर्णीत
5	पैरा–10 (छ) से (प)	अनिर्णीत

(घ) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/98

1	पैरा–10	अनिर्णीत
2	पैरा–11	अनिर्णीत
3	पैरा–15 (3)	अनिर्णीत

(ङ) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/2006

1	पैरा–4	निर्णीत	
2	पैरा–5.1	अनिर्णीत	
	पैरा–5.2	अनिर्णीत	
	पैरा–5.3	निर्णीत	
3	पैरा–6 (क,ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत	
	पैरा–7 (ख)	निर्णीत	
	पैरा–7 (ग)	अनिर्णीत	
5	पैरा–8	निर्णीत	
6	पैरा–9	आंशिक रुप से निर्णीत	नोटः– रसीद बुक्स 322251 से 322300 (30.7.98 से 31.7.98 तक) तथा 437950 से 438000 (6.11.98 से 1.12.98 तक) देख ली गई है।
7	पैरा–10 (1)	अनिर्णीत	
	पैरा–10 (2)	निर्णीत	

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

राजकीय महाविद्यालय, नालागढ, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के निधि लेखों अवधि 4/06 से 3/12 तक का वर्तमान अकेक्षण श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 24.11.12 से 02.02.13 तक नालागढ में किया गया। विस्तृत जांच हेतु आय के लिए माह 0/06, 8/07, 6/08, 6/09, 6/10 व 6/11 एवं व्यय के लिए माह 4/06, 12/07, 12/08, 5/09, 3/11 व 12/11 के लेखाओं का चयन किया गया, जिसके परिणामों को अनुवर्ती पैरों में समाविष्ट किया गया है। अनुवर्ती पैरों में दिए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, संस्था द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई जाने वाली अनियमितताओं के लिए उतरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण का उतरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित होगा।

2 अंकेक्षण शुल्कः–

राजकीय महाविद्यालय, नालागढ के लेखाओं अवधि 4/06 से 3/12 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹42000/–बनता है। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) के पत्र संख्या 58 दिनांक 29.12.12 द्वारा उक्त राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने हेतु अनुरोध किया गया। संस्था द्वारा उक्त राशि स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, नालागढ के ड्राफ्ट संख्या 298046 दिनांक 01.01.13 द्वारा निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेज दी गई।

3 वित्तीय स्थितिः–

(क) अवधि 4/06 से 3/12 की छात्र निधि लेखाओं की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट "क"** पृष्ठ 1 से 4 तक पर दी गई है, जिसका वर्षवार विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "क"** पृष्ठ सं0 5 से 10 तक पर भी दिया गया है व **परिशिष्ट "ख" (**1) व ख (2) पर पाए गए अन्तर से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरण को दर्शाया गया है।

(ख) परिशिष्ट "ख" (1) में दर्शाए गए बैंक समाधान विवरणानुसार मिश्रित निधि से चैक संख्या 563557 दिनांक 29.06.11 ₹1200/–व चैक संख्या 592383 दिनांक 21.01.11 ₹181/–फाईन निधि से चैक संख्या 589770 दिनांक 30.09.10 ₹170 व चैक संख्या 589777 दिनांक 30.9.2010 ₹930/– अर्थात कुल राशि ₹2481/–के चैक जारी किये गए जो कि दिनांक 30.3.2012 को कालातीत हो गए थे परन्तु महाविद्यालय द्वारा सम्बन्धित बैक से इनके भुगतान से सम्बन्धित आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त न करके रोकड़ वही में इन्हें पुनः लेखांकित नहीं किया गया। अतः ₹2481/–के कालातीत चैकों के समाधान हेतु आवश्यक उचित कार्रवाई नियमानुसार न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इन चैकों का लेखांकन रोकड़ वही में किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

(ग) परिशिष्ट "क" (10) में वर्णित वितीय स्थिति के अनुसार मिश्रित निधि का दिनांक 31.03.12 को अन्तशेष ₹18,47,324.50/था परन्तु रोकड के अनुसार 31.03.12 को अन्तशेष ₹(–)200770.00/था। पाए गए ₹2048094.50/के अन्तर का समाधान निम्न विवरणानुसार था। रोकड वही उचित प्रकार से लेखांकित न करने के कारण पाए गए अन्तर बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व रोकड वही में आवश्यक सुधार अविलम्ब किया जाए।

दिनांक 31.03.12 को वितीय स्थिति के अनुसार अन्तशेषः	₹18,47,324.50
जमाः–	
1 दिनांक 28.05.09 को सावधि खाते की परिपक्वता पर मूल राशि को गलत प्रकार से रोकड वही में आय के रुप में जमा किया गया।	₹10,00,000.50

2	दिनांक 30.06.11 को मिश्रित निधि की रोकड वही का अन्तशेंष ₹(–)612517.50 था परन्तु गलती से 01.07011 को रोकड वही में प्रारम्भिक शेष ₹(+)639388.00 दिखाया गया।	₹12,51,905.50
		₹40,99,230.00

माईनसः–

1	सवधि निवेशों की राशि को अनुचित प्रकार से व्यय दर्शाते हुए दिनांक 1.04.06 को मिश्रित निधि के प्रारम्भिक शेष में शामिल नहीं किया गया।	₹23,00,000.00
2	दिनांक 21.08.10 को बी0सी0ए0 / वी0जी0डी0सी0ए0 द्वारा ऋण के रुप में ली गई राशि को वापिस किया गया परन्तु रोकड वही में लेखांकन नहीं किया गया।	₹10,00,000.00
3	दिनांक 7.03.08 को किए गए सावधि निवेश की राशि को गलत प्रकार से खर्चा दर्शाते हुए रोकड वही में से घटाया गया।	₹10,00,000.00
	दिनांक 31.03.12 को रोकड वही के अनुसार दर्शाया गया अन्तशेष।	**(–)₹200770.00**

(घ) परिशिष्ट क (10) में वर्णित वितीय स्थिति के अनुसार खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यकलाप निधि का दिनांक 31.03.12 को अन्तशेष ₹375412.00 था परन्तु रोकड वही के अनुसार 31.03.12 को अन्तशेष (–)₹876493.50 था। पाए गए ₹12,51,905.00 के अन्तर का समाधान निम्न विवरणानुसार था जिसका आवश्यक सुधार समायोजन रोकड वही में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

दिनांक 31.03.12 को वितीय स्थिति के अनुसार अन्तशेषः	₹3,75,412..00

माईनसः–

दिनांक 30.06.11 को रोकड वही का अन्तशेष (+) ₹ 639388.00 था परन्तु 1.07.11 को रोकड वही में प्रारम्भिक शेष गलत प्रकार से (–) ₹612517.50 दिखाया / लेखांकित किया गया।	₹12,51,905.00
दिनांक 31.03.12 को रोकड वही के अनुसार अन्तशेष।	**(–)₹8,76,493.50**

(ङ) परिशिष्ट ख (1) में दर्शाए गए बैंक समाधान अनुसार ₹13/= की आय को बैंक में कम जमा करवाया गया है एवं ₹9000.00 को गलती से युनवर्सीटी A/c में जमा करवा दिया गया। उपरोक्त त्रुटियों का आवश्यक सुधार अतिशीघ्र कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4 <u>सावधि निवेशः–</u>

महाविद्यालय द्वारा छात्र निधियो से समय–2 पर सावधि लेखों में राशियॉ निवेश की जा रही थी। महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार प्रत्येक वर्ष के अन्त में निम्न विवरणानुसार राशियॉ निवेशित पाई गई जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ग–1 से ग–7" में भी दिया गया है।

<u>सावधि जमा में निवेशित राशिः–</u>

दिनांक	मिश्रित निधि	पुस्तकालय प्रतिभूति निधि
31.03.07	₹2463400.00	–
31.03.08	₹36,34607.00	400,000.00
31.03.09	₹37,06,908.00	400,000.00
31.03.10	₹27,06,908.00	475600.00
31.03.11	₹43,33,485.00	475600.00
31.03.12	₹44,08,160.00	540593.00

दिनांक 31.03.12 तक सावधि जमा में कुल निवेशित राशिः– 4948753

सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों के अंकेक्षण में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(i) सावधि निवेश पर ब्याज के रुप में प्राप्त/अर्जित ₹1173153.00 को रोकड वही में लेखांकित न किया जानाः–

महाविद्यालय द्वारा सावधि निवेश पर अर्जित ब्याज की जॉच करने पर पाया गया कि अवधि 4/06 से 3/12 में ₹1173153.00 ब्याज के रुप में प्राप्त हुए जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट ग (1) से (7) में दिया गया है, परन्तु इस राशि को प्राप्त होने पर रोकड वही में लेखाबद्व नहीं किया गया अपितु प्राप्त ब्याज को सीधे सावधि निवेश में पुनः निवेश के रुप में दर्शा दिया गया। अतः सावधि निवेश पर अर्जित ब्याज/प्राप्त ब्याज को रोकड वही में लेखाबद्व न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। साथ ही उपरोक्त ब्याज की राशि को रोकड वही में लेखाबद्व कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में अर्जित/प्राप्त ब्याज की राशि को रोकड वही में लेखांकन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

(ii) बैंक द्वारा ₹104785.00 के ब्याज को कम दिया जानाः–

महाविद्यालय द्वारा सावधि निवेश पर अर्जित ब्याज की जॉच करने पर पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि में सम्बन्धित बैकों द्वारा देय ब्याज की राशि से कम ब्याज प्रदान किया गया। सही गणनानुसार महाविद्यालय को ₹104785.00 की ब्याज के रुप में कम प्राप्ति हुई जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट ग(1)से (6) में दिया गया है। निम्नविवरणानुसार वर्षवार दिए गए कम ब्याज की वसूली हेतु मामला सम्बन्धित बैंक से उठाया जाए व ₹104785.00 की राशि प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वर्ष	ब्याज की राशि जो कम दी गई
2007–08	₹ 5953.00
2008–09	₹ 4468.00
2010–11	₹ 75234.00
2011–12	₹ 19130.00
कुल	**₹ 104785.00**

(iii) बचत खातों व सावधि खातों में प्राप्त ब्याज ₹10,60,278/की राशि को आनुपातिक आधार पर छात्र निधियों के लेखों में आबंटित न करनाः—

विभिन्न छात्र निधियों की रोकड वही की जांच करने पर पाया गया कि विभिन्न छात्र निधियों की राशि को एक ही बचत खाते व सावधि खाते में निवेश किया जा रहा है। इन पर अर्जित ब्याज की राशि को रोकड वही में प्राप्ति कालम में एक पृथक कालम "ब्याज" के रुप में दर्शाया गया है। जबकि अर्जित ब्याज की राशि की आनुपातिक आधार पर सभी छात्र निधियों में आबंटित किया जाना अपेक्षित था। अतः निम्नविवरणानुसार अर्जित ब्याज की ₹1060278.00 की राशि को अंकेक्षणाधीन अवधि में आनुपातिक आधार पर सभी/विभिन्न छात्र निधियों में आबंटित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। भविष्य में विभिन्न खातों में निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज की राशियों को आनुपातिक आधार पर सभी छात्र निधियों में आबंटित करके सम्बन्धित रोकड वही में लेखांकन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

वर्ष	बचत खातों में अर्जित ब्याज	सावधि निवेशों पर अर्जित ब्याज
2006—07	43798.00	—
2007—08	55953.00	—
2008—09	39596.00	—
2009—10	49841.00	732119.00
2010—11	54502.00	—
2011—12	62,523.00	21946.00
	₹ 306213.00	**₹754065.00**

(iv) विभिन्न छात्र निधियों की निवेशित राशि पर प्राप्त ब्याज में से सीधे ही ₹ 10,04,996.00 के व्यय करने बारेः—

विभिन्न छात्र निधियों की रोकड वहियों की जांच में पाया गया कि छात्र निधियों की निवेशित राशि पर प्राप्त ब्याज को सभी छात्र निधियों में आनुपातिक रुप में आबंटित न करके एक पृथक कालम ब्याज में ही दिखाया जा रहा है व इस ब्याज की मद से सीधे ही निम्नविवरणानुसार व्यय किया जा रहा है जो कि अनियमित है। व्यय को व्याज मद से न करके

सम्बन्धित छात्र निधि से किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार ₹10,04,996.00 के सीधे ही किये गये व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। भविष्य में ब्याज की राशि को सीधे व्यय न करके सम्बन्धित निधि मे से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

वर्ष	ब्याज में से किया गया व्यय
2008–09	₹ 166254.00
2009–10	₹820216.00
2010–11	₹ 18526.00

(v) <u>सावधि निवेश रजिस्टर नियमानुसार उचित प्रकार से तैयार न किया जानाः–</u>

सवधि निवेश रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि इसे नियमानुसार स्वतः स्पष्ट रुप से तैयार नहीं किया गया जिस कारण निवेशित राशि की स्थिति स्वतः स्पष्ट नहीं होती। सावधि निवेश की राशियों को बार–बार अनावश्यक रुप से लिखा जा रहा था तथा लागू ब्याज की दर, ब्याज की प्राप्त राशि, पुनः निवेश की तिथि/दर/अवधि आदि को अंकित नहीं किया गया था। अतः उक्त पाई गई त्रुटियों बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सावधि रजिस्टर का रख–रखाव स्वतः स्पष्ट रुप से किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

(vi) <u>सावधि खातों में निवेशित राशियों को रोकड वही के प्रारम्भिक/अन्तिम शेषों में सम्मिलित न करनाः–</u>

विभिन्न छात्र निधियों की रोकड वहियों की जांच करने पर पाया गया कि सम्बन्धित रोकड वही के प्रारम्भिक/अन्त शेष में सावधि की राशि को सम्मिलित न करते हुए इन्हें पृथक रुप से दिखाया गया था तथा सावधि ब्याज की प्राप्ति होने पर भी इस राशि को सम्बन्धित रोकड वही में न दर्शाकर सीधे सावधि निवेश में जोड दिया गया जबकि महाविद्यालय द्वारा सावधि निवेश की राशि को सम्बन्धित निधि की रोकड वही के अन्तशेष व प्रारम्भिक शेष में सम्मिलित करके तथा सावधि राशि पर प्राप्त ब्याज को सम्बन्धित रोकड वही में दर्शाया जाना अपेक्षित था जिससे छात्र निधि लेखों की स्थिति स्वतः ही स्पष्ट होती है। अतः उक्त पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सावधि निवेश की राशि को सम्बन्धित निधि की रोकड वही के प्रारम्भिक व अन्तशेष में जोड कर दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 **(क) अग्रिमः–**

महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं अग्रिम रजिस्टर की पडताल में पाया गया कि विभिन्न निधियों से कर्मचारियों/अधिकारियों को अग्रिम प्रदान किए जा रहे थे। दिनांक 31.3.12 को ₹33600.00 के अग्रिम समायोजन हेतु शेष पाए गए जिनका विवरण **परिशिष्ट "घ"** में दिया गया है। इन असमायोजित अग्रिमों का समायोजन यथाशीघ्र सुनिश्चित कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अग्रिम राशियों से सम्बन्धित समायोजन वाऊचर प्रस्तुत न किए जाने बारेः–

चयनित मासों में व्यय की पडताल के दौरान निम्नलिखित प्रकरणों में कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशियों के सम्बन्धित समायोजन वाऊचर नहीं दिखाए गए। जिसके अभाव में यह पुष्टि नहीं हो पाई कि इनका समायोजन हो गया है या नहीं। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा आगामी अंकेक्षण पर अग्रिम रजिस्टर तथा समायोजन वाउचर प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए।

क्रम सं0	वाऊचर संख्या/दिनांक	अन्तिम राशि (₹)	जिसे दी गई(नाम)	उद्देश्य
1	12/ 9.12.11	20,000/–	श्री राम नाथ	परीक्षाएं करवाने हेतु
2	17/ 30.12.11	20,000/–	श्री राम नाथ	–यथोपरि–
3	465/ 5/09	10,000/–	श्रीआर0के0 भारद्वाज	–यथोपरि–
4	466/ 5/09	10,000/–	श्रीआर0के0 भारद्वाज	–यथोपरि–
5	204/ 29.12.12	23,600/–	डा0 रतन चन्द	सेनेटरी फीटीगस करवाने हेतु
6	383/ 04/06	50,000.00	श्री संजीव	परीक्षाएं करवाने हेतु

6 **रोकड वही के रखरखाव में त्रुटियों बारेः–**

रोकड वही की पडताल में पाया गया कि रोकड वही का रख रखाव उचित रूप से नहीं किया जा रहा है। रोकड़ वही में अत्याधिक कटिंग/ओवर राईटिंग पाई गई जिसे किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। कई

प्रकरणों में (निम्नलिखित उदहारण अनुसार) रोकड वही को एक ही अवधि के लिए दो–दो बार लिखा गया है जो कि एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। अतः उपरोक्त त्रुटियों बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाए एवं अंकेक्षण अवधि के दौरान की गई कटिग्स/ओवर राईटिंग्स को सक्षम अधिकारी से सत्यापित किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	**रोकड वही**	**पृष्ठ संख्या**	**अवधि**
1	मिश्रित एवं अन्य निधियां–ii	257 से 282	मई 2007 से अगस्त 2008
2	विभिन्न निधियां–रो0व0– i	298	जुलाई–2008
3	–यथोपरि–	308	फरवरी–2009
4	मिश्रित एवं अन्य निधियां–ii	310	मार्च–2009
5	–यथोपरि–	312	अप्रैल–2009
6	विभिन्न निधियां–रो0व0– i	317	जून–2009

7 छात्र से ₹1354/–कम वसूले जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 6/11 में शुल्क तथा विभिन्न निधियों के अन्तर्गत प्राप्त आय की पडताल के दौरान पाया गया कि रोल न0 9025 से प्रवेश शुल्क ₹25/ तथा विभिन्न निधियों के अर्न्तगत ₹1329/ जोकि प्राप्त किए जाने थे वे नहीं लिए गए तथा रसीद संख्या 702 दिनांक 14.06.11 के अनुसार केवल ₹300/–टयूशन फीस की प्राप्ति ही की गई थी। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹1354/रु(25+1329) की वसूली करके आगामी अंकेक्षण में अवगत।

8 कम्पयूटरीकृत रसीदें जारी करने की व्यवस्था में कमियों बारेः–

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 6/2011 में शुल्क तथा विभिन्न निधियों से प्राप्त आय की पडताल के दौरान यह पाया गया कि दिनांक 2.06.11 से महाविद्यालय प्रशासन ने छात्रों एवं छात्राओं को शुल्क तथा विभिन्न निधियों की पावती की एवज में मुद्रित रसीदों के स्थान पर कम्पयूटरीकृत रसीदें जारी करना आरम्भ कर दिया था। कम्पयूटरीकृत रसीदें जारी करने की व्यवस्था (System) में निम्नलिखित कमियां पाई गईः–

(क) सम्बन्धित निधि संग्रह रजिस्टर (Fund collection register) में बीच–बीच में कई रसीद संख्याएं दर्ज नही की गई जिस कारण यह पता लगाना सम्भव नही है कि इन रसीडों से कितनी आय प्राप्त हुई। सम्बन्धित दैनिक निधि संग्रह रजिस्टर में यह रसीदें तथा उनसे प्राप्त राशि दर्ज न होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि सम्बन्धित अभिलेख में प्राप्त आय लेखांकित ही नहीं हुई। पाई गई गम्भीर त्रुटी बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। जो रसीद संख्याएं निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज हुई नहीं पाई गई उनका ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**रसीद संख्याएं**	**दिनांक/अवधि**
1	1648 से 1674 तथा 1678 से 1681	30.06.11 से 7.7.11
2	1683 से 1689 तथा 1692 से 1693	7.7.11 से 9.7.11
3	1697 से 1806, 1808 से 1811 तथा 1815 से 1824	9.7.11 से 1.8.11
4	1827 से 1835 तथा 1838	1.8.11 से 3.8.11
5	1844, 1850 तथा 1854	4.8.11 से 5.8.11 तथा 6.8.11
6	1915	7.8.11
7	2006 से 2007, 2025,2026,2034,2047,2048,2051 से 2055,2057 तथा 2058	8.8.11 से 9.8.11
8	2092 से 2122,2125 से 2127,2129 से 2132,2134 से 2143,2145 तथा 2147	9.8.11 से 12.8.11 तक 9.8.11 से 12.8.11
9	2149 से 2244	12.8.11 तथा 12.9.11 से 18.10.11
10	2247 से 2253	18.10.11 से 1.11.11
11	2372 से 2390	2.11.11 से 3.11.11
12	2641	4.11.11
13	2880	8.11.11
14	3156	11.11.11
15	3239	12.11.11
16	3577	15.11.11
17	3904 से 3907	5.12.11 से 10.12.11
18	3910 से 3912	12.12.11 से 11.2.12

(ख) कुछ रसीद संख्याएं महाविद्यालय द्वारा अपनाई गई नई कम्पयुटरीकृत व्यवस्था में निम्नलिखित ब्यौरे अनुसार पुनः जारी की गई पाई गई। एक ही नम्बर को रसीद के रुप में दो–दो बार दर्शाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

क्र0सं0	**दिनांक**	**रसीद संख्या**	**रोल न0**	**राशि (₹)**
1	8.11.11	2879, 2879	4642, 4588	426/–116/–
2	11.11.11	3155, 3155	7282, 7221	431/–445/–
3	12.11.11	3238, 3238	7268, 7285	100/–100/–
4	14.11.11	3576, 3576	13077, 13125	133/–130/–

(ग) यह भी पाया गया कि इस नई व्यवस्था में कुछ रसीदें निम्नलिखित ब्यौरे अनुसार क्रमवार जारी न होकर आगे पीछे जारी हुई पाई गई। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

क्र0सं0	**रसीद संख्या**	**दिनांक**
1	पहले क्रम संख्या 10 से 16 उसके बाद 6 से 9 जारी की गई पाई गई।	3.6.11
2	पहले 17 से 38 फिर 100 से 105 बाद में 39 से 99 जारी की गई पाई गई।	4.6.11
3	पहले 953 से 986, फिर 100 से 1083 फिर 935 से 952 बाद में 987 से 999 जारी की गई पाई गई।	17.6.11

उपरोक्त कमियों/अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय प्रशासन द्वारा चलाई जा रही कम्पयुटरीकृत रसीदें जारी करने की व्यवस्था को सही तथा विश्वसनीय नही माना जा सकता है। इस व्यवस्था को महाविद्यालय द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अपने स्तर पर लागू कर देना अनियमित ही नही आपतिजनक भी है। अतः उपरोक्त अनियमितताओं तथा बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के नई व्यवस्था को अपने स्तर पर लागू किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस व्यवस्था के कारण जो प्राप्त आय कार्यालय अभिलेख में लेखांकित न हुई हो विभागीय स्तर पर आवश्यक छानबीन की जाए व जो राशि लेखों में लेखाबद्व न हुई हो उसे लेखांकित करके सत्यापन आगामी अंकेक्षण पर कराया जाए। यह मामला आवश्यक छानबीन व कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यान में भी लाया जाता है।

9 **युनिवर्सिटी तथा मिश्रित निधि में क्रमशः ₹60/तथा ₹440/कम जमा किए जाने बारेः—**

चयनित मासों में प्राप्त आय की पडताल के दौरान पाया गया कि दैनिक निधि संग्रह पंजिका के पृष्ठ संख्या 96 माह 6/09 पर युनिर्वसिटी निधि तथा मिश्रित निधि के अर्न्तगत क्रमशः ₹5101/—तथा ₹54783/—प्राप्त किए गए परन्तु सम्बन्धित बैंक खातों व रोकड वही में क्रमशः 5041/—तथा ₹54343/—जमा किए गए। इस प्रकार युनिर्वसिटी निधि में ₹60/—तथा मिश्रित निधि में ₹440/—कम जमा किए गए। त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए ₹60/—व₹440/—की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके राशि सम्बन्धित निधियों में जमा की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर सत्यापित करवाई जाए।

10 **₹540/—विलम्ब शुल्क वसूल न किए जाने बारेः—**

चयनित माह 6/2011 में शुल्क तथा विभिन्न निधियों के अर्न्तगत प्राप्त आय की जॉच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में सम्बन्धित छात्र/छात्राओं से विलम्ब प्रवेश शुल्क (Late Fee) ₹540/—की वसूली नहीं की गई। त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा आवश्यक वसूली करके सम्बन्धित लेखा में राशि जमा की जाए।

क्र0सं0	**रोल न0**	**रसीद संख्या**	**दिनांक**	**राशि(₹)जो प्राप्त नहीं की गई**
1	9025	702	14.6.11	40.00
2	4657	1117	18.6.11	80.00
3	14056	1042	17.6.11	70.00
4	3127	1053	17.6.11	70.00
5	4635	940	17.6.11	70.00
6	14097	1586	30.6.11	180.00
7	3076	761	14.6.11	30.00 (₹40 के स्थान पर केवल ₹10/—ली गई) ₹30/कम प्राप्त किए गए।
				कुल 540/—

11 **विश्वविद्यालय चार्जिज से सम्बन्धित लेखों में अनेक वर्षो से राशियां संकलित होकर दिनांक 31.3.12 को ₹3,22,332/–की राशि निपटारे हेतु शेष पाई जाना:–**

महाविद्यालय के विश्वविद्यालय चार्जिज से सम्बन्धित लेखों/रोकड वही की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.12 को ₹3,22,332.00 की राशि शेष थी यह राशि प्रत्येक वितीय वर्ष में विश्वविद्यालय चार्जिज के रुप में अनेक वर्षो से संकलित हुई पाई गई। जांच करने पर यह पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा प्रवेश के आधार पर प्रत्येक छात्र से विश्वविद्यालय चार्जिज की प्राप्ति समय–समय पर निर्धारित दरों से की गई, परन्तु विश्वविद्यालय को केवल उतनी ही राशि भेजी गई जितने छात्रों के फार्म अन्तिम रुप में भेजे गए। अर्थात जिन छात्रों के फार्म किन्ही कारणवश विश्वविद्यालय को नहीं भेजे गए उनसे एकत्रित राशि का संकलन महाविद्यालय में ही होता रहा तथा दिनांक 31.3.12 तक इस प्रकार की ₹3,22,332/राशि विश्वविद्यालय में शेष पडी पाई गई जिसे महाविद्यालय को अन्य कार्य मदों पर व्यय करने हेतु प्राधिकृत भी नहीं किया गया है। अतः ₹3,22,332/के प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक निर्देश प्राप्त करके तथा शेष पडी राशि के प्रयोग तदानुसार ही किया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में इस प्रंकार की शेष बची राशि के प्रयोग हेतु भी आवश्यक स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त किये जाऐ।

12 **कम्पयूटर व इंटरनेट सुविधा निधि के रुप में ₹80780/– प्राप्त न करना:–**

प्रधान सचिव (शिक्षा) हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या ई0डी0एन0ए0एल0(8)1/2001 दिनांक 1.06010 द्वारा जारी विभिन्न निधियों की दरों को ध्यान में रखते हुए कम्पयूटर व इन्टरनेट सुविधा निधि के रुप में ₹20/– प्रति वर्ष की प्राप्ति प्रति छात्र वर्ष 2010–11 व 2011–12 में की जानी अपेक्षित थी। महाविद्यालय की विभिन्न निधियों की प्राप्ति की जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 2010–11 व 2011–12 में महाविद्यालय द्वारा उपरोक्त वर्णित निर्देशों की अवहेलना करते हुए छात्रों/छात्राओं से कम्पयूटर व इन्टरनेट सुविधा निधि की वसूली की ही नहीं गई जिसके परिणामस्वरुप महाविद्यालय द्वारा निम्नविवरणानुसार ₹80780/की राशि कम प्राप्त की गई।

वर्ष	छात्रों की सं0	निधि की दर (प्रति वर्ष)	कुल राशि ₹ में
2010—2011	1803	20	36060
2011—2012	2236	20	44720
		कुल	**80780**

अतः उपरोक्त छात्र निधि की ₹80780/—की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आवश्यक वसूली उचित स्त्रोत से करके यह राशि कम्पयूटर व इंटरनेट सुविधा निधि में जमा करवाई जाए तथा भविष्य में उक्त निधि की राशि नियमानुसार उचित दर से प्राप्त की जानी भी सुनिश्चित की जाए।

13 ₹5556/—को अनियमित रूप से कम लेखांकित करनाः—

अंकेक्षणाधीन अवधि में छात्रों से प्राप्त निधि राशियों की जांच करने पर पाया गया कि रसीद बुकों की कार्बन प्रतियों में बॉल पेन से कटिंग की गई पाई गई तथा कार्बन/कार्यालय प्रति में बॉल पेन से अनियमित प्रकार से राशियों को संशोधित करके प्राप्त राशि को कम करके दिखाया गया। उक्त पाई गई त्रुटि से यह स्पष्ट नहीं होता कि यह कटिंग किस स्त्तर पर की गई है। यह भी सम्भव है कि मूल रसीद को जारी कर दिये जाने के पश्चात कटिंग करके प्राप्ति को कम करके दिखाया गया हो। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि की गई कटिंग को सक्षम अधिकारी से सत्यापित भी नहीं करवाया गया है। इस प्रकार से पाए गए प्रकरण निम्न वर्णित है। अतः प्राप्त राशि को कटिंग करके कम किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा कम लेखाकिंत की गई ₹5556/—की वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाए जाए।

क्र0सं0	छात्र/छात्रा का नाम	कक्षा	रोल नं0	दिनांक	रसीद सं0	रसीद द्वारा छात्र से ली गई राशि	दर्शाई गई राशि	उगाही रजिस्टर में अनियमित रूप से कम लेखांकित राशि
1	इंदू कौशल	M.A.-IV	8455	9.06.06	014923	32	2	30
2	रंजना देवी	M.A.-IV	8456	9.06.06	14924	35	5	30
3	नरेन्द्र सिंह	M.A.-IV	8457	9.06.06	14925	31	1	30
4	रेनू देवी	M.A.-IV	8454	9.06.06	14926	32	2	30
5	परमजीत कौंर	M.A.-IV	8461	9.06.06	14927	34	4	30
6	सुमन देवी	M.A.-IV	8460	9.06.06	14928	30	3	27
7	महिन्द्र कौंर	M.A.-IV	8402	9.06.06	14929	30	5	25
8	आशा रानी	M.A.-IV	8407	9.06.06	14930	30	4	26
9	मीनाक्षी	M.A.-IV	8418	9.06.06	14931	30	3	27
10	सर्वजीत कौंर	M.A.-IV	8452	9.06.06	14932	30	1	29
11	सुजाता कुमारी	M.A.-IV	8468	9.06.06	14933	30	2	28
12	अमनप्रीत कौंर	M.A.-IV	8453	9.06.06	14934	30	5	25
13	सुनीता देवी	M.A.-IV	8469	9.06.06	14935	30	5	25
14	अंजना कुमारी	M.A.-IV	8465	9.06.06	14936	30	1	29
15	संजय	M.A.-IV	8474	10.06.06	14937	35	5	30
16	महेश कुमार	M.A.-IV	8462	10.06.06	14938	35	5	30
17	टेक चन्द	M.A.-IV	8403	10.06.06	14939	30	3	27
18	पवन कुमार	M.A.-IV	8543	10.06.06	14940	30	4	26
19	वंदना कुमारी	M.A.-IV	8537	10.06.06	14941	30	2	28
20	गौरव	M.A.-IV	8405	10.06.06	14942	30	3	27
21	मंदीप कुमार	M.A.-IV	8406	10.06.06	14943	30	1	29
22	पवन कुमार	M.A.-II	8504	10.06.06	14944	30	3	27
23	राजू	M.A.-II	8511	10.6.06	14945	30	5	25
24	सुनीता देवी	M.A.-II	8544	10.6.06	14946	30	3	27
25	विकास चेतल	B.A.-I	614	16.6.06	14998	1525	1200	325

26	चेत राम	M.A. 1st	8459	01.08.07	19110	738	438	300
27	गुरचरण सिंह	B.A.-II	1190	6.8.07	19252	910	610	300
28	भावना शर्मा	M.A. 1st	2316	30.8.07	19643	590	338	252
29	सुमित शर्मा	B.Com-I	377	15.6.10	30300	1869	1459	410
30	रक्षा वर्मा	B.Sc.-II	252	16.6.10	30402	1789	1549	240
31	पूजा शर्मा	B.Sc.-II	201	17.6.10	30436	1809	1789	20
32	स्नेह लता	B.Sc.-III	318	17.6.10	30508	1569	1549	20
33	आरती देवी	B.Sc.-III	317	17.6.10	30509	1569	1549	20
34	कविता भारद्वाज	B.A.-I	1101	18.6.10	30616	1389	1089	300
35	दीपिका	B.Sc.-II	260	18.6.10	30632	1569	1549	20
36	चन्द्रप्रभा	B.Sc.-II	261	18.6.10	30633	1569	1549	20
37	अनीता स्नेह	B.Sc.-II	205	18.6.10	30651	1809	1789	20
38	गुरजीत कौंर	B.Com-III	935	18.6.10	30661	1549	1249	300
39	अंजली रानी	B.Sc.-II	265	21.6.10	30817	1589	1569	20
40	अमनदीप कौंर	B.Sc.-II	262	21.6.10	30823	1589	1569	20
41	रामा रानी	B.Sc.-II	263	21.6.10	30824	1589	1569	20
42	बबलेश कौंडल	B.A.-III	2075	21.6.10	30859	1389	1089	300
43	रंजना देवी	B.A.-I	1142	21.6.10	30870	1589	1289	300
44	अनीता	B.A.-II	1676	21.6.10	30891	1109	1089	20
45	अंसू देवी	B.Sc.-I	130	22.6.10	30995	1829	1589	240
46	परमिंद्र कौंर	B.A.-III	2087	23.6.10	31076	1109	108′9	20
47	कमलेश	B.Com-III	970	25.6.10	31159	1279	1259	20
48	सिमरनजीत कौंर	B.A.-I	1264	28.6.10	31324	1399	1099	300
49	नीलम धीमान	B.Sc.-II	2247	17.6.08	21854	1002	902	100
50	सुनिता कुमारी	B.Sc.-I	2070	20.6.08	22005	1492	1392	100
51	ज्योति शर्मा	B.A.-II	3125	20.6.08	22059	710	590	120
52	बलगिंदर कौंर	B.A.-I	2777	20.6.08	22145	1322	710	612
53	महेरा शर्मा	B.Sc.-III	2383	28.6.08	22568	1222	1072	150
						41215	**35659**	**5556**

14 ₹225/–की राशि कम लेखाबद्ध करने बारेः–

चयनित माह में आय की जांच के दौरान पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि में विभिन्न निधियों में रसीदों से प्राप्त राशि को निम्नविवरणानुसार निधि उगाही रजिस्टर/रोकड़ वही में कम लेखांकित किया गया। ₹225/–की राशि को लेखाबद्ध न करने बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा इस राशि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से करके जमा करवानी सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	छात्र का नाम	क्क्षा/रोलनं0	रसीद सं0/दिनांक	प्राप्त की गई राशि	निधि उगाही रजिस्टर में लेखाबद्ध राशि	कम लेखाबद्ध राशि ₹ में
1	विवेक शर्मा	B.A.II/3106	21911/19.6.08	840	740	100
2	चंदना रानी	B.Sc.-II/2244	21952/20.6.08	1002	902	100
3	रेखा रानी	B.A.-I/2855	22158/23.6.08	805	800	5
4	सखजीत कुमार	B.A-II/3220	22632/30.6.08	630	610	20
					कुल योग	**225**

15 टयूशन फीस के रूप में ₹31800/–की कम प्राप्ति बारेः–

प्रधान सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या ई0डी0एन0–ए–ख(8) 1/2001 दिनांक 01.6.10 के अनुसार प्रत्येक छात्र से (स्थाई हिमाचली छात्राओं को छोड़कर) टयूशन फीस ₹50/– प्रतिमाह की दर से ली जानी अनिवार्य थी। महाविद्यालय के द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार उपरोक्त टयूशन फीस को वर्ष में दो बार ₹300/–की दर से छात्रों से वसूल किया जा रहा था। चयनित माह की आय की जांच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में छात्रों से व गैर हिमाचली छात्राओं से या तो

टयूशन फीस की उगाही की ही नहीं गई या कम की गई थी। फलस्वरूप ₹31800/–की टयूशन फीस की कम वसूली की गई। टयूशन फीस की कम वसूली किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके राशि जमा करवाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	**छात्र/छात्रा का नाम**	**कक्षा**	**रोल नं0**	**रसीद सं0/दिनांक**	**टयूशन फीस जो प्राप्त की जानी आपेक्षित थी**	**टयूशन फीस जो प्राप्त की गई**	**कम प्राप्त की गई टयूशन फीस**
1	नीरज चौधरी	B.Com-III	552	15003/17.6.06	300	–'	300
2	नीरज	B.Com-I	455	15264/29.6.06	300	–	300
3	नितिन शर्मा	B.A-II	1112	19179/03.08.07	300	–	300
4	नरिन्द्र सैनी	B.A-III	1517	19336/9.8.07	300	–	300
5	देवेन्द्र	B.A-III	2071	30837/21.06.10	300	–	300
6	ग्गनदीप शर्मा	B.Com-III	2603	21901/19.06.08	300	150	150
7	पिरोभा कुमारी (गैर हिमाचली)	B.Com-II	2504	21865/19.06.08	300	150	150
8	साधना शर्मा (गैर हिमाचली)	B.A-III	3504	21869/19.06.08	300	150	150
9	रमयय कृष्णन (गैर हिमाचली)	B.Sc-III	2354	21906/19.06.08	300	150	150
10	परमदीप सिंह	B.A-II	3105	21910/19.06.08	300	150	150
11	विवेक शर्मा	B.A-II	3106	21911/19.06.08	300	150	150

12	धीरज कुमार	B.A-II	3118	21912 / 19.06.08	300	150	150
13	राज कुमार	B.A-II	3109	21985 / 20.6.08	300	150	150
14	रजनेश तोमर	B.Sc-III	2373	21988 / 20.6.08	300	150	150
15	रोहित चन्देल	B.Sc-III	2372	21990 / 20.6.08	300	150	150
16	गुडडी कान्त (गैर हिमाचली)	B.Sc-II	2201	20000 / 20.6.08	300	150	150
17	संदीप कुमार	B.Sc-II	2202	22016 / 20.6.08	300	150	150
18	रोहित शर्मा	B.Sc-II	2510	22020 / 20.6.08	300	150	150
19	हितेश गुलाटी	B.A-III	3534	22021 / 20.6.08	300	150	150
20	रवि शर्मा	B.A-I	3137	22045 / 20.6.08	300	150	150
21	नेहा कुमारी (गैर हिमाचली)	B.A-III	3517	22062 / 20.6.08	300	150	150
22	डोगर सिंह	B.A-III	3522	22094 / 20.6.08	300	150	150
23	रवि कान्त	B.Com-II	2511	22128 / 20.6.08	300	150	150
24	अजय कुमार	B.Com-II	2512	22129 / 20.6.08	300	150	150
25	रोशन कौशल	B.Com-II	2604	22157 / 20.6.08	300	150	150
26	स्वतंत्र चौहान	B.Com-III	2606	22198 / 23.6.08	300	150	150
27	अमन कुमार	B.Com-III	2605	22199 / 23.6.08	300	150	150
28	अर्जुन	B.A-II	3155	22219 / 23.6.08	300	150	150
29	अमन दीप	B.Com-III	2607	22237 / 23.6.08	300	150	150

30	संजीव कौंर (गैर हिमाचली)	B.Sc-II	2253	22275 / 24.6.08	300	150	150
31	प्रदीप कुमार	B.A-III	3569	22273 / 24.6.08	300	150	150
32	नरिन्द्र सिंह	B.A-II	3156	22289 / 24.6.08	300	150	150
33	कपिल देव	B.A-II	3158	22290 / 24.6.08	300	150	150
34	कुलविन्द्र सिंह	B.A-II	3157	22291 / 24.06.08	300	150	150
35	राजीव कुमार	B.A-II	2519	22306 / 24.6.08	300	150	150
36	विपन कुमार	B.A-II	2518	22307 / 24.6.08	300	150	150
37	नरेश कुमार	B.A-III	2608	22308 / 24.6.08	300	150	150
38	धर्मेन्द्र कुमार	B.Sc-II	2203	22309 / 24.6.08	300	150	150
39	सुरेश अग्रवाल	B.Com-II	2515	22322 / 24.6.08	300	150	150
40	प्रमोद कुमार	B.A-III	2608	22328 / 24.6.08	300	150	150
41	विजय कुमार	B.Sc-III	2375	22329 / 24.6.08	300	150	150
42	गुरविन्द्र सिंह	B.Sc-II	2374	22330 / 24.6.08	300	150	150
43	दीपिका राठौर (गैर हिमाचली)	B.Sc-Ii	2204	22347 / 24.6.08	300	150	150
44	करन कुमार	B.Sc-II	2905	22350 / 24.06.08	300	150	150
45	खलिल मुहम्मद	B.A-III	3571	22357 / 25.06.08	300	150	150
46	कुमार गौरव	B.A-III	3572	22369 / 25.6.08	300	150	150
47	कुलवन्त सिंह	B.A-III	3574	22371 / 25.6.08	300	150	150
48	राधा कृष्ण	B.A-III	3170	22375 / 25.06.08	300	150	150
49	महिन्द्र पाल	B.Sc-II	2258	22388 / 25.6.08	300	150	150
50	सुरिन्द्र कुमार	B.Sc-II	2253	22396 / 25.6.08	300	150	150

51	धर्मिन्द्र कुमार	B.A-III	3578	22408 / 25.6.08	300	150	150
52	कुलदीप	B.A-III	3589	22422 / 26.6.08	300	150	150
53	आशीष कुमार	B.A-III	3585	22423 / 26.6.08	300	150	150
54	पवन कुमार	B.A-III	3587	22424 / 26.6.08	300	150	150
55	कपिल देव शर्मा	B.A-III	3591	22425 / 26.6.08	300	150	150
56	शेर सिंह	B.A-III	3590	22426 / 26.6.08	300	150	150
57	नरेन्द्र कुमार	B.Sc-II	2259	22427 / 26.6.08	300	150	150
58	सतवीर सिंह	B.A-II	3181	22429 / 26.6.08	300	150	150
59	पवन कुमार	B.A-II	3182	22430 / 26.6.08	300	150	150
60	राकेश कुमार	B.Com-II	2525	22431 / 26.6.08	300	150	150
61	गुरपाल सिंह	B.Com-II	2526	22432 / 26.6.08	300	150	150
62	सतीश कुमार	B.Com-II	2527	22433 / 26.6.08	300	150	150
63	राज कुमार	B.Com-III	2614	22444 / 26.6.08	300	150	150
64	भूपिन्द्र धीमान	B.Com-III	2615	22445 / 26.6.08	300	150	150
65	दीपांशु विनायक	B.Com-III	2616	22446 / 26.6.08	300	150	150
66	दिनेश कुमार वर्मा	B.Sc-II	2260	22448 / 26.6.08	300	150	150
67	दलजीत सिंह	B.Sc-II	2262	22450 / 26.6.08	300	150	150
68	मुकेश कुमार	B.Sc-II	2261	22451 / 26.6.08	300	150	150
69	विपुल कुमार	B.Com-III	2618	22459 / 26.6.08	300	150	150
70	जरनैल सिंह	B.A-II	3185	22462 / 26.6.08	300	150	150

71	धर्म सिंह	B.A-III	3598	22463 / 26.6.08	300	150	150
72	अरूण कुमार	B.A-III	3593	22464 / 26.6.08	300	150	150
73	अमित पुरी	B.A-III	3595	22465 / 26.6.08	300	150	150
74	जूली कुमारी (गैर हिमाचली)	B.Sc-III	2207	22472 / 26.6.08	300	150	150
75	अजीत सिंह	B.A-III	3599	22483 / 26.6.08	300	150	150
76	राशि पाल	B.A-II	3186	22486 / 26.6.08	300	150	150
77	गुलाब सिंह	B.A-II	3187	22487 / 26.6.08	300	150	150
78	सुमित गुप्ता	B.A-III	3606	22496 / 26.6.08	300	150	150
79	खमिन्द्र सिंह	B.A-III	3608	22497 / 26.6.08	300	150	150
80	रवि कान्त	B.Com-II	2523	22503 / 26.6.08	300	150	150
81	चंदन लाल	B.Com-II	2522	22504 / 26.6.08	300	150	150
82	राजेश कुमार	B.Com-III	2621	22514 / 27.6.08	300	150	150
83	राजेश कुमार	B.Sc-II	2263	22516 / 27.6.08	300	150	150
84	शनि कुमार	B.Sc-II	2264	22517 / 27.6.08	300	150	150
85	विशाल नेगी	B.Com-III	2535	22518 / 27.6.08	300	150	150
86	अनिल ठाकुर	B.A-II	3194	22521 / 27.6.08	300	150	150
87	मनिंनदर सिंह	B.A-II	3193	22522 / 27.6.08	300	150	150
89	परवीन कुमार	B.A-II	3195	22525 / 27.6.08	300	150	150
90	अजीब सिंह	B.Com-II	2536	22528 / 27.6.08	300	150	150
91	नरिन्द्र सिंह	B.A-III	2537	22529 / 27.6.08	300	150	150
92	गुरमेल सिंह	B.Sc-III	3609	22538 / 27.6.08	300	150	150
93	दीपक कुमार	B.Sc-III	2378	22539 / 27.6.08	300	150	150

94	हरविन्द्र कुमार	B.Sc-III	2379	22540 / 27.6.08	300	150	150
95	प्रदीप कुमार	B.Sc-III	2380	22541 / 27.6.08	300	150	150
96	अमृत लाल	B.Sc-III	2360	22545 / 27.6.08	300	150	150
97	जय देवी	B.A-III	3610	22548 / 27.6.08	300	150	150
98	नितेश कुमार	B.Com-III	2541	22552 / 27.6.08	300	150	150
99	विकास कुमार	B.Com-III	2542	22553 / 27.6.08	300	150	150
100	संदीप सिंह	B.A-II	3198	22559 / 27.6.08	300	150	150
101	संदीप कुमार	B.A-II	3180	22562 / 28.6.08	300	150	150
102	निशा रानी (गैर हिमाचली)	B.A-III	3612	22567 / 28.6.08	300	150	150
103	महेश शर्मा	B.Sc-III	2382	22568 / 28.6.08	300	150	150
104	हरनेक सिंह	B.Sc-III	2544	22571 / 28.6.08	300	150	150
105	वीना कुमारी	B.Sc-III	2543	22575 / 28.6.08	300	150	150
106	सुख राम	B.A-III	3614	22582 / 28.6.08	300	150	150
107	हरवंस लाल	B.A-III	3611	22583 / 28.6.08	300	150	150
108	अमित कुमार	B.A-III	3615	22584 / 28.6.08	300	150	150
109	लेख राज	B.Sc-III	2383	22585 / 28.6.08	300	150	150
110	संजय कुमार	B.Sc-III	2384	22586 / 28.6.08	300	150	150
111	ललित कुमार	B.A-II	3202	22587 / 28.6.08	300	150	150
112	राजेश कुमार	B.A-II	3206	22589 / 28.6.08	300	150	150
113	राम प्रताप	B.A-II	3207	22590 / 28.6.08	300	150	150
114	यशवंत सिंह	B.A-III	3617	22592 / 28.6.08	300	150	150
115	सुरजीत सिंह	B.A-II	3203	22594 / 28.6.08	300	150	150
116	गगन दीप	B.A-II	3209	22595 / 28.6.08	300	150	150
117	बलविन्दर	B.A-II	3212	22597 / 28.6.08	300	150	150

	सिंह						
118	सुनील कुमार	B.A-II	3296	22599/28.6.08	300	150	150
119	संजीव कुमार	B.Com-III	2622	22603/28.6.08	300	150	150
120	राधा चरण	B.A-II	3212	22612/28.6.08	300	150	150
121	गौरव कशयप	B.A-II	3214	22613/28.6.08	300	150	150
122	तविश राजदेव	B.A-II	3215	22614/28.6.08	300	150	150
123	प्रवीण कुमार	B.A-II	3149	22615/28.6.08	300	150	150
124	प्रविन्द्र सिंह	B.A-II	3200	22616/28.6.08	300	150	150
125	पवन कुमार	B.A-II	3218	22617/28.6.08	300	150	150
126	प्रदीप कुमार	B.A-II	3217	22618/28.6.08	300	150	150
127	पवन चौहान	B.A-II	3616	22620/28.6.08	300	150	150
128	जगदीप सिंह	B.A-II	3223	22625/30.6.08	300	150	150
129	प्रवीण कुमार	B.A-II	3222	22627/30.6.08	300	150	150
130	करन सिंह	B.Sc-III	2381	22639/30.6.08	300	150	150
131	नवनीत	B.Sc-III	2624	22640/30.6.08	300	150	150
132	प्रिंस बंसल	B.A-III	2625	22642/30.6.08	300	150	150
133	सौरभ कुमार	B.Sc-III	2623	22643/30.6.08	300	150	150
134	राज बहादुर	B.A-III	3620	22646/30.6.08	300	150	150
135	ईमरान खान	B.A-III	3621	22648/30.6.08	300	150	150
136	अशोक कुमार	B.A-II	3221	22650/30.6.08	300	150	150
137	अनिल कुमार	B.A-II	3219	22651/30.6.08	300	150	150
138	विजय कुमार	B.Sc-II	2268	22655/30.6.08	300	150	150
139	विनय कुमार	B.Sc-II	2262	22657/30.6.08	300	150	150
140	रामपाल	B.A-III	3622	22662/30.6.08	300	150	150
141	गुरचरण सिंह	B.A-III	3624	22664/30.6.08	300	150	150
142	विनोद कुमार	B.A-II	3625	22666/30.6.08	300	150	150
143	अभिनन्दन	B.A-III	3623	22668/30.6.08	300	150	150

144	नानक चंद	B.A-III	3627	22669 / 30.6.08	300	150	150
145	विजय कुमार	B.A-II	3620	22671 / 30.6.08	300	150	150
146	मुकेश शर्मा	B.A-II	3629	22674 / 30.6.08	300	150	150
147	रोहित मेहता	B.A-II	3229	22676 / 30.6.08	300	150	150
148	निखिल कुमार	B.A-II	3630	22677 / 30.6.08	300	150	150
149	प्रीति वर्मा (गैर हिमाचली)	B.A-II	3228	22683 / 30.6.08	300	150	150
150	नीम चंद	B.A-III	3633	22687 / 30.6.08	300	150	150
151	नरेश कुमार	B.A-III	3632	22689 / 30.6.08	300	150	150
152	राजेश कुमार	B.A-III	3631	22690 / 30.6.08	300	150	150
153	भाग सिंह	B.A-II	3237	22692 / 30.6.08	300	150	150
154	रोहित सिंह	B.A-II	3240	22694 / 30.6.08	300	150	150
155	गुलजार	B.A-II	3239	22698 / 30.6.08	300	150	150
156	जसविन्द्र सिंह	B.A-II	3234	22701 / 30.6.08	300	150	150
157	अमित कुमार	B.A-II	3226	22704 / 30.6.08	300	150	150
158	हरीश कुमार	B.A-II	3235	22705 / 30.6.08	300	150	150
159	राकेश कुमार	B.A-III	3618	22706 / 30.6.08	300	150	150
160	अरूण कुमार	B.A-III	3619	22707 / 30.6.08	300	150	150
161	सतविन्द्र सिंह	B.A-II	3241	22708 / 30.6.08	300	150	150
162	हितेश कुमार	B.A-II	3242	22709 / 30.6.08	300	150	150
163	हितेश कुमार	B.A-II	3243	22710 / 30.6.08	300	150	150
164	हेम राम	B.A-II	3245	22711 / 30.6.08	300	150	150
							25200
165	दिनेश कुमार	B.A-II	3248	22712 / 30.6.08	300	150	150
166	वरिन्द्र कुमार	B.A-II	3247	22713 / 30.6.08	300	150	150
167	निशांत मेहता	B.A-III	3636	22714 / 30.6.08	300	150	150

168	योगेश्वर सिंह	B.A-II	2627	22716 / 30.6.08	300	150	150
169	विकास कश्यप	B.A-II	3246	22717 / 30.6.08	300	150	150
170	नंद लाल	B.A-III	3637	22720 / 30.6.08	300	150	150
171	अशोक कुमार	B.A-II	3250	22722 / 30.6.08	300	150	150
172	हरपाल सिंह	B.A-III	3639	22723 / 30.6.08	300	150	150
173	संदीप ठाकुर	B.A-III	3638	22724 / 30.6.08	300	150	150
174	नरेश कुमार	B.A-III	3642	22736 / 30.6.08	300	150	150
175	मुकेश	B.A-II	3251	22746 / 30.6.08	300	150	150
176	मंदीप	B.A-II	3252	22743 / 30.6.08	300	150	150
177	राम पाल	B.Com-II	2545	22751 / 30.6.08	300	150	150
178	गुरनाम सिंह	B.A-I	3643	22761 / 30.6.08	300	150	150
179	अनिल कुमार	B.A-III	3253	22763 / 30.6.08	300	150	150
180	दिलबाग सिंह	B.Com-III	2628	22765 / 30.6.08	300	150	150
181	गुरमीत सिंह	B.A-I	5383	26152 / 20.6.09	300	–	300
182	छांगु राम	B.A-II	5776	26250 / 20.6.09	300	–	300
183	अमनदीप	BSc. Non. Med.	4589	26513 / 26.6.09	300	–	300
184	शोभ राज	B.A-I	5477	26531 / 26.6.09	300	–	300
185	नीरज चन्द	B.Com-II	8099	1029 / 17.6.11	300	–	300
186	अमनदीप	BSc. Non. Med.	13135	1530 / 29.6.11	300	–	300
187	नवजीत राजा	B.A-II	3072	706 / 14.6.11	300	–	300
188	नीरज	BSc. Med.	10026	746 / 14.6.11	300	–	300
189	नीरज	BSc.	13091	810 / 16.6.11	300	–	300

		Non. Med					
190	अनुपम	B.Com-III.	9056	1358 / 20.6.11	300	–	300
191	अन्शु	BSc. Non. Med	13052	433 / 10.6.11	300	–	300
192	नीरज कुमार	B.A-I	75	442 / 106.11	300	–	300
193	सन्जु	B.A-I	83	463 / 10.6.11	300	–	300
194	रूप कंवर सिंह	B.Com-II	8060	694 / 13.6.11	300	–	300
							31800

16 <u>कम्पयूटर प्रैक्टिकल निधि शुल्क के रूप में ₹20400.00 छात्रों से प्राप्त न करनाः–</u>

प्रधान सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या ई0डी0एन0–ए–ख (8) 1/2001 दिनांक 01.06.2010 के अनुसार वाणिज्य एवं गणित विषयों के छात्र/छात्राओं से कम्पयूटर प्रैक्टिकल निधि शुल्क के रूप में प्रति माह ₹15/–की दर से निधि वसूली की जानी आपेक्षित थी। उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं चर्चा के दौरान यह पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा केवल अंतिम वर्ष के वाणिज्य एवं गणित के विद्यार्थियों से ही इस शुल्क की वसूली की जा रही थी जबकि सरकार द्वारा जारी उपरोक्त दिशा निर्देशों के दृष्टिगत महाविद्यालय द्वारा प्रथम द्वितीय व तृतीय वर्ष के छात्रों से की जानी आपेक्षित थी। अतः महाविद्यालय द्वारा प्रथम व द्वितीय वर्ष के पात्र छात्रों से कम्पयूटर प्रैक्टिकल निधि की वसूली ₹20400/–नहीं की गई उपरोक्त त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व ₹20400/– की वसूली करके राशि छात्र निधि में जमा करवाई जाए।

क्र0सं0	कक्षा का नाम	वर्ष	छात्रों की सं0	शुल्क की दर (प्रतिमास)	वर्ष में कम प्राप्त राशि
1	बी0काम–I	2010–11	327	15	4905
2	बी0काम–II	2010–11	124	15	1860
3	बी0ए0–I	2010–11	5	15	75
4	बी0ए0–II	2010–11	9	15	135

5	बी0एस0सी0–I	2010–11	162	15	2430
6	बी0एस0सी0–II	2010–11	34	15	510
7	बी0काम–I	2011–12	296	15	4440
8	बी0काम–II	2011–12	154	15	2310
9	बी0ए0–I	2011–12	13	15	195
10	बी0ए0–II	2011–12	–	15	–
11	बी0एस0सी0–I	2011–12	193	15	2895
12	बी0एस0सी0–II	2011–12	43	15	645
			1360	**15**	**20400**

17 रैड क्रास निधि के रूप में ₹79830/–की अनाधिकृत/अनुचित वसूली बारेः–

महाविद्यालय की विभिन्न छात्र निधियों की प्राप्तियों की जांच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा छात्रों से रैड क्रास निधि की वसूली की जा रही है। परन्तु प्रधान सचिव (शिक्षा) के पत्र संख्या ई0डी0एन0–ए–ख(8) 1/2001 दिनांक 01.06.10 जिसके द्वारा छात्रों से वसूल की जानी वाली विभिन्न निधियों की दर निर्धारित की गई थी, के अनुसार रैड क्रास निधि वसूल करने का कोई प्रावधान नहीं था। अतः छात्रों से रैड क्रास निधि अनुचित रूप से वसूल करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। दिनांक 31.03.2012 तक उक्त निधि में ब्याज सहित ₹79830.00 की राशि जमा थी। इस अनाधिकृत रूप से वसूली गई राशि का नियमितकरण सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके किया जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 एस0सी0ए0 निधिः–

एस0सी0ए0 निधि की वसूली के सम्बन्ध मेंः–

महाविद्यालय की सम्बन्धित छात्र निधियों की प्राप्तियों की जांच पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा छात्रों से प्रति छात्र ₹10/–'प्रतिवर्ष की दर से एस0सी0ए0 निधि के रूप में वसूल किए जा रहे है। परन्तु प्रधान सचिव (शिक्षा) के पत्र संख्या ई0डी0एन0–ए–ख (8) 1/2001 दिनांक 01.06.2010 जिसके द्वारा विभिन्न शुल्कों/निधियों की दर निर्धारित की गई थी के अनुसार एस0सी0ए0 निधि की वसूली का कोई प्रावधान नहीं था। अतः छात्रों से एस0सी0ए0 निधि की वसूली बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए व पाई गई अनियमितता का नियमितकरण सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके किया जाए दिनांक 31.032.2012 को राजकीय महाविद्यालय

नालागढ़ में एस0सी0ए0 निधि की रोकड़ वही में (–) ₹24255.00 का अन्त शेष था। यह भी स्पष्ट किया जाए कि उपरोक्त निधि में से जमा से अधिक ₹24255/–का व्यय किस प्रकार किया गया। त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए भविष्य में अनाधिकृत रूप से वसूली न की जाए।

19 रसीदें न दिखाए जाने बारेः–

चयनित माह 6/2011 में शुल्क तथा विभिन्न निधियों से प्राप्त आय की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित रसीदें प्रस्ततु नहीं की गई। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा आगामी अंकेक्षण में रसीदें प्रस्तुत किए जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रसीद सं0	दिनांक	राशि (₹)
1	933	16.6.11	1689
2	934	16.6.11	2109
3	938	17.6.11	1399
4	1248	20.6.11	2209

20 ₹180/–की राशि रोकड़ वही में जमा न किए जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न निधियों के दैनिक संग्रह (Daily Collection Register) की पृष्ठ संख्या 51 में की गई प्रविष्टियों के अनुसार माह 6/11 में ₹180/' कम्पयूटर फीस के रूप में प्राप्त किए गए परन्तु यह राशि सम्बन्धित रोकड़ वही में नहीं ली गई। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹180/–वसूली करके राशि सम्बन्धित रोकड़ वही में जमा करवा के अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

21 बैंक पास बुक/स्टेटमैन्ट प्रस्तुत न किए जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों में प्राप्त आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निधि संग्रह रजिस्टर के अनुसार दिनांक 30.6.09 को मिश्रित निधि के अन्तर्गत ₹59930/–प्राप्त हुए परन्तु सम्बन्धित बैंक खाते की माह जुलाई 2009 से सम्बन्धित पास बुक/बैंक स्टेटमैन्ट प्रस्तुत न किए जाने के कारण इस राशि की बैंक में जमा की पड़ताल नहीं

की जा सकी। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा आगामी अंकेक्षण पर बैंक पास बुक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

व्यय

मिश्रित निधि

22 मिश्रित निधि से ₹12242.00 का अनियमित व्ययः—

महाविद्यालय द्वारा माह 03/2011 मे ंवाऊचर संख्या 1969 द्वारा मिश्रित निधि से टी0टी0 रूम व म्यूजिक रूम के फर्श की मुरम्मत के लिए ₹12242/—का भुगतान निम्न विवरणानुसार किया गया।

क्र0सं0	बिल सं0	दिनांक	राशि	विवरण
1	—	21.12.10	900	एक ट्राली रेता
2	392	29.12.10	3260	12 बैग सीमेन्ट
3	437	25.12.10	171	1 बंडल ग्लास
4	439	05.01.11	171	1 बंडल ग्लास
5	—	—	7740	1 मिस्त्री एवं 2 मजदूर को 20 दिन की दिहाड़ी का भुगतान

उपरोक्त वाउचर की पड़ताल में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गईः—

(1) किए गए कार्य का माप के अनुसार विवरण किसी भी आवश्यक अभिलेख जैसे कि माप पुस्तिका/विवरणी आदि से दर्ज नहीं किया गया जिसके अभाव में किए गए कार्य व उसमें प्रयुक्त हुई सामग्री की जांच नहीं की जा सकी। आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार की जाए।

(2) सीमेन्ट क्रय करने हेतु विहित औपचारिकताओं का पालन नहीं किया गया जिसके अभाव में बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया जा सका। त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(3) उपरोक्त कार्य को बिल्डिंग फंड में से किया जाना वांन्छित था। इसे मिश्रित निधि से किए जाना मिश्रित निधि पर उचित प्रभार नहीं थां किये गए अनियमित/अनुचित व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करके राशि मिश्रित निधि में जमा करवाई जाए।

23 ₹1500/– अनियमित पारिश्रमिक का भुगतानः–

मिश्रित निधि लेखों की जांच के दौरान पाया गया कि वाऊचर संख्या 1957 माह 03/2011 के द्वारा श्रीमति वीर देई को माह 02/2011 के पारिश्रमिक के रूप में ₹1500/– का भुगतान किया गया। वाउचर की जांच के दौरान निम्नलिखित कमियां/आपत्तियां पाई गईः–

(1) उपरोक्त पारिश्रमिक के भुगतान के पक्ष में न तो कोई मस्टरोल साथ में संलग्न किया गया था और न ही माह के दौरान कर्मचारी ने कितने दिन कार्य किया का सत्यापन किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया था। आवश्यक स्थिति स्पष्ट किये बिना ही भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(2) कर्मचारी को प्रतिदिन किस दर से भुगतान किया गया का विवरण वाउचर में नहीं दर्शाया गया था। वाउचर में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया था कि कर्मचारी ने क्या कार्य किया। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

24 महाविद्यालय द्वारा मिश्रित निधि से बिजली पाली दूरभाष बिलो ंका अनियमित प्रकार से भुगतान करना तथा दिनांक 31.03.2012 को ₹907186 वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

मिश्रित निधि से समय–समय पर किए गए व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय के बिजली, पानी, दूरभाष बिलों का भुगतान मिश्रित निधि से अनियमित रूप से किया जा रहा था। चर्चा के दौरान पाया गया कि सरकारी बजट उपलब्ध न होने के कारण इन बिलों का भुगतान मिश्रित निधि से ऋण के रूप में किया जाता है एवं सरकार से बजट प्राप्त होने के उपरान्त इस राशि को मिश्रित निधि मे ंवापिस जमा करवा दिया जाता है। निम्न विवरणानुसार मिश्रित निधि से ₹907186.00 का व्यय अंकेक्षण अवधि के दौरान अनियमित रूप से किया गया तथा किसी भी प्रकार से आवश्यक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई। इस राशि को वापिस मिश्रित निधि में जमा करवाने सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व उक्त राशि को उचित स्त्रोत से मिश्रित निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में इस प्रकार के व्यय को मिश्रित निधि से किए जाने से परिहार किया जाए।

क्र0सं0	वा0सं0	दिनांक/माह	राशि	विवरण
1	1204	24.01.07	16942	बिजली के बिल का भुगतान
2	1210	21.02.07	720	टेलीफोन के बिल का भुगतान
3	1211	22.02.07	6335	बिजली के बिल का भुगतान
4	1223	22.03.07	5971	–यथोपरि–
5	1327	23.08.08	11946	–यथोपरि–
6	1328	26.8.08	119	–यथोपरि–
7	1332	20.09.08	13000	–यथोपरि–
8	1341	22.10.08	1026	टेलीफोन के बिल का भुगतान
9	1344	24.10.08	12708	बिजली के बिल का भुगतान
10	1345	25.10.08	1000	सर्विस टिकटी की खरीद
11	1351	19.11.08	12327	बिजली के बिल का भुगतान
12	1352	19.11.08	3059	टेलीफोन के बिल का भुगतान
13	1362	20.12.08	1209	–यथोपरि–
14	1363	20.12.08	10360	बिजली के बिल का भुगतान
15	1374	20.01.09	9663	–यथोपरि–
16	1375	20.01.09	1384	टेलीफोन के बिल का भुगतान
17	1389	20.02.09	11907	बिजली के बिल का भुगतान
18	1390	20.02.09	1071	टेलीफोन के बिल का भुगतान
19	1405	23.3.09	1315	–यथोपरि–
20	1404	23.3.09	8841	बिजली के बिल का भुगतान
21	1405	23.3.09	1315	टेलीफोन के बिल का भुगतान
22	1421	24.4.09	9126	बिजली के बिल का भुगतान
23	1430	20.5.09	9278	–यथोपरि–
24	1431	20.5.09	1883	टेलीफोन के बिल का भुगतान
25	1433	25.6.09	10488	बिजली के बिल का भुगतान

26	1434	25.6.09	1403	टेलीफोन के बिल का भुगतान
27	1453	24.7.09	13225	बिजली के बिल का भुगतान
28	1454	24.7.09	2083	टेलीफोन के बिल का भुगतान
29	1464	24.8.09	15849	बिजली के बिल का भुगतान
30	1465	24.8.09	4992	टेलीफोन के बिल का भुगतान
31	1483	22.9.09	18225	बिजली के बिल का भुगतान
32	1484	22.9.09	3790	टेलीफोन के बिल का भुगतान
33	1519	24.10.09	3772	टेलीफोन के बिल का भुगतान
34	1520	24.10.09	26022	बिजली के बिल का भुगतान
35	1541	24.11.09	16265	—यथोपरि—
36	1542	24.11.09	6868	टेलीफोन के बिल का भुगतान
37	1560	26.12.09	20041	—यथोपरि—
38	1561	26.12.09	1170	बिजली के बिल का भुगतान
39	1586	27.01.10	19411	—यथोपरि—
40	1588	28.01.10	5092	टेलीफोन के बिल का भुगतान
41	1605	3.02.10	5670	बिजली के बिल का भुगतान
42	1606	03.02.10	2735	—यथोपरि—
43	1607	03.02.10	30625	—यथोपरि—
44	1632	24.02.10	4386	टेलीफोन के बिल का भुगतान
45	1633	24.2.10	18375	बिजली के बिल का भुगतान
46	1658	25.3.10	4449	टेलीफोन के बिल का भुगतान
47	1659	25.3.10	16023	बिजली के बिल का भुगतान
48	1679	17.04.10	4591	टेलीफोन के बिल का भुगतान
49	1684	24.04.10	24626	बिजली के बिल का भुगतान
50	1696	25.05.10	19663	बिजली के बिल का भुगतान
51	1709	23.6.10	5270	टेलीफोन के बिल का भुगतान
52	1710	23.6.10	12545	बिजली के बिल का भुगतान
53	1732	13.7.10	1331	पानी के बिल का भुगतान
54	1736	21.7.10	4696	टेलीफोन के बिल का भुगतान

55	1737	21.7.10	20139	बिजली के बिल का भुगतान
56	1768	23.8.10	28380	—यथोपरि—
57	1772	26.8.10	4485	टेलीफोन के बिल का भुगतान
58	1796	20.9.10	29730	बिजली के बिल का भुगतान
59	1800	21.9.10	2420	पानी के बिल का भुगतान
60	1830	27.10.10	24325	बिजली के बिल का भुगतान
61	1908	24.12.10	43380	—यथोपरि—
62	1910	24.12.10	2719	—यथोपरि—
63	1930	22.01.11	21254	—यथोपरि—
64	1929	22.01.11	2258	टेलीफोन के बिल का भुगतान
65	1941	06.02.11	713	—यथोपरि—
66	1947	01.03.11	13376	बिजली के बिल का भुगतान
67	1959	12.03.11	614	टेलीफोन के बिल का भुगतान
68	15	21.4.11	17617	बिजली के बिल का भुगतान
69	37	03.06.11	18447	—यथोपरि—
70	38	03.06.11	287	टेलीफोन के बिल का भुगतान
71	49	24.06.11	960	—यथोपरि—
72	50	24.′6.11	13389	बिजली के बिल का भुगतान
73	68	21.7.11	22043	बिजली के बिल का भुगतान
74	88	25.8.11	29461	—यथोपरि—
75	89	26.8.11	722	टेलीफोन के बिल का भुगतान
76	131	26.9.11	18839	—यथोपरि—
77	130	26.9.11	1722	बिजली के बिल का भुगतान
78	172	4.11.11	29621	—यथोपरि—
79	178	15.11.11	2758	टेलीफोन के बिल का भुगतान
80	181	19.11.11	12656	बिजली के बिल का भुगतान
81	182	19.11.11	651	टेलीफोन के बिल का भुगतान
82	199	22.12.11	16352	बिजली के बिल का भुगतान
83	193	14.12.11	872	टेलीफोन के बिल का भुगतान

84	215	30.01.12	16260	बिजली के बिल का भुगतान
85	228	27.02.12	30836	—यथोपरि—
86	227	17.02.12	437	टेलीफोन के बिल का भुगतान
87	262	20.03.12	3297	बिजली के बिल का भुगतान
			907186	

25 ₹115085/—का व्यय अनियमत/अनुचित प्रकार से करना:—

मिश्रित निधि लेखों की जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार किया गया व्यय मिश्रित निधि पर उचित प्रभार नहीं था। अतः मिश्रित निधि से अनुचित प्रकार से किए गए व्यय बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व वसूली उचित स्त्रोत से करके राशि मिश्रित निधि में जमा करवाई जाए।

क्र0सं0	**वा0सं0 दिनांक**	**विक्रेता का नाम व बिल सं0**	**व्यय का विवरण**	**व्यय राशि ₹ में**
1	1970 03/11	मै0 सुरिन्द्र कुमार नालागढ़ बिल सं0 51 दिनांक 01.02.11	इग्नो कार्यालय में स्थापित अलमारी की मुरम्मत	2500
2	1286 12/07	मै0 राज गुरूंग नालागढ़	महाविद्यालय प्रागंण में जमीन समतल करने हेतु JCB कार्य/पाचार्य महोदय ने खर्चे की स्वीकृति बिल्डिंग फंड से दी थी	2750
3	1958 03/11	मै0 हिमाचल साईंटिफिक एण्ड ओपटिकल वर्क/सोलन बिल सं0 256	ज्योग्राफी प्रैक्टिकल को सामान का क्रय	13408
4	1969 03/11	मै0 मेहरा हार्डवेयर व सैनिटरी स्टार, नालागढ़ बिल संख्या 270	वाटर पाईप फिटिंगस व औजारों का क्रय	7914

		3.2.11 राशि 2625 बिल सं0 269/03.02.11 राशि 2313 बिल सं0 254/3.02.11 राशि 2976		
5	1946 03/11	मै0 शिवालिक बुक सैन्टर चण्डीगढ़ बिल सं0 465 से 470 दिनांक 2.3.11	वर्षिक पारितोषिक वितरण के लिए किताबों का क्रय	69893
		मै0 मेहता ट्रेडिंग कोर्स चण्डीगढ़ बिल सं0 137008 दिनांक 2.3.11	नियमानुसार इनका क्रय दण्ड शुल्क से किया जाना था।	2260
		मै0 अरोरा फ्लोनर हाऊस चण्डीगढ़ बिल सं0 5721 दिनांक 5.3.11	वार्षिक पारितोषिक वितरण के लिए स्टेंशनरी का क्रय	
			वार्षिक पारितोषिक वितरण के लिए फूलों का क्रय	360
6	1955 03/11	डा. रत्न चन्द को अग्रिम का भुगतान	वार्षिक पारितोषिक वितरण के लिए किताबों का क्रय के लिए	10000
7	1956 03/11	डा0 अनीता ठाकुर को अग्रिम का भुगतान	वार्षिक पारितोषिक वितरण के लिए रिफ्रैशमैन्ट खर्च के भुगतान के लिए	6000
			योग	**₹115085**

26 **<u>वाउचर संख्या 1429 दिनांक 8.5.09 ₹707710/–</u>**

उपरोक्त वाऊचर की पड़ताल करने पर पाया गया कि कम्पयूटर लैब (BCA/PGDCA) के लिए कम्पयूटरस की खरीद हेतु अन्तिम राशि के यप में State Elictronics development carporation Ltd. Rattton Kungs, Khalini, Shimla-171002 को उपरोक्त राशि का भुगतान किया गया। परन्तु वाऊचर के साथ कार्पोरेशन की शर्तों सम्बन्धी दस्तावेज तथा अनुमोदित मूल्य सूची जिसके आधार पर यह भुगतान किया गया संलग्न नहीं पाए गए तथा अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत भी नहीं किए गए। इस कारण से अग्रिम राशि का भुगतान नियमानुसार सही किया गया था या नही इसकी पड़ताल नहीं की जा सकी। इस अग्रिम राशि के समायोजन से सम्बन्धित बिल/कैश मैमो न तो वाउचर के साथ संलग्न पाए गए और न ही अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए गए।

अतः पाई गई अनियमितताओं के विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा आगामी अंकेक्षण पर वांन्छित अभिलेख तथा समायोजन सम्बन्धी वाऊचर सत्यापनार्थ प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किये जाए।

27 **<u>वाऊचर संख्या 62 दिनांक 11.7.11 ₹34739/–</u>**

उपरोक्त वाऊची की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गईः–

(i) यह व्यय निर्माण कार्य "कन्स्ट्रक्शन ऑफ सिक्योरिटी ऑफिस एण्ड स्टेयर केस टूवारडस साईस ब्लाक" पर किया गया। पहले भी इस निर्माण कार्य पर ₹35000/–व्यय किए गए थे। अतः कुल खर्चा ₹69739/–(39000+34739) मिश्रित निधि में से किया गया जो कि मिश्रित निधि पर वैध प्रभार नहीं है तथा यह व्यय नियमानुसार बिल्डिंग फण्ड में से किया जाना आपेक्षित था।

(ii) निर्माण कार्य करवाने व भुगतान हेतु बनाई गई विहित प्रक्रिया भी यहां अपनाई नहीं गई क्योंकि वाऊचर के साथ टैन्डर नोटिस निर्माण कार्य आंकलन तकनीकी अनुमोदन आदि संलग्न नहीं पाए गए जोकि निर्माण कार्य करवाने हेतु नियमानुसार आवश्यक है।

(iii) निर्माण कार्य के मापों से सम्बन्धित माप पुस्तिका तथा स्टोर/स्टॉक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त अनियमितओं के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार आपेक्षित कार्यवाही निपटारे हेतु करके इस विभाग को अवगत कराऐं।

28 नियुक्तियो सम्बन्धी अभिलेख प्रस्ततु न किए जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में महाविद्यालय द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों को मिश्रित निधि में से वेतन दिया जा रहा था जोकि मिश्रित निधि पर उचित प्रभार प्रतीत नहीं होता है। यह नियुक्तियॉ कब से की गई तथा किन नियमों/प्रक्रिया के अनुसार की गई अंकेक्षण के दौरान इस बारे में भी अवगत नहीं कराया गया जिस कारण यह नियुक्तियां नियमानुसार सही है या नहीं इसकी पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अनियमित/अनुचित प्रकार से भुगतान की गई राशियों की वसूली उचित स्त्रोत से करके राशि मिश्रित निधि में जमा करवाई जाए।

क्र0सं0	वा0सं0/दिनांक	नाम	पद जिस पर नियुक्ति की गई	वेतन प्रति माह (₹)
1	209/31.12.11	श्री केहर सिंह	इलैक्ट्रीशियन	₹5150
2	210/31.12.11	श्री सुरेन्द्र	पलम्बर	₹5150
3	211/31.12.11	श्री धनी राम	स्वीपर	₹3100
4	212/31.12.11	श्री लज्जा राम	स्वीपर	₹3100

विश्वविद्यालय निधिः–

29 अग्रिम राशि में से ₹1512/–वापिस जमा की पुष्टि न करवाना व ₹980/–का अनियमित व्ययः–

(i) विश्वविद्यालय निधि लेखों की जांच के दौरान पाया गया कि वाऊचर संख्या 506 दिनांक 22.03.2011 द्वारा श्री सुखदर्शन लिपिक को ₹2492/–का अग्रिम प्रैक्टीकल के भुगतान हेतु प्रदान किया गया। अग्रिम समायोजन करते हुए सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा ₹980/–का भुगतान वांन्छित प्रयोजन हेतु दिखाया गया व शेष ₹1512.00 को विश्वविद्यालय निधि में वापिस जमा किया हुआ दर्शाया गया परन्तु शेष राशि को किस रसीद संख्या द्वारा कब वापिस किया गया का रिकार्ड अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वांन्छित अभिलेख के अभाव में शेष ₹1512/–की निधि लेखा में वापसी को सत्यापित नहीं किया जा सकता। इस त्रुटि बारे उचित स्पष्टीकरण

दिया जाए अन्यथा शेष राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से कर विश्वविद्यालय निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) इसके अतिरिक्त ₹980.00 का किया गया व्यय उक्त निधि पर वैध प्रभार नहीं था जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक वसूली उचित स्त्रोत से करके राशि निधि लेखा में जमा करवाई जाए।

30 ₹537964.00 का मुद्रण कार्य राजकीय मुद्रणालय शिमला से न करवाकर सीधे खुले बाजार से करवाया जाना:—

छात्र निधि लेखों की जांच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा पहचान पत्र, पत्रिका व अन्य मुद्रण कार्य हिमाचल प्रदेश राजकीय मुद्रणालय शिमला से न करवाकर सीधे खुले बाजार से करवाया जा रहा था तथा बाजार से मुद्रण कार्य करवाये जाने से पूर्व कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र राजकीय मुद्रणालय से प्राप्त नहीं किया गया। अंकेक्षणाधीन अवधि में इस प्रकार से करवाए गए कार्य का विवरण निम्न प्रकार से है। अतः मुद्रण का कार्य राजकीय मुद्रणालय से न करवाकर सीधे खुले बाजार से करवाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में मुद्रण का कार्य राजकीय मुद्रणालय से ही करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त प्रकरण आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ भी विशेष रूप से लाया जाता है।

क्र0सं0	निधि का नाम	फर्म का नाम व बिल सं0	क्रय किए सामान का विवरण	मूल्य ₹ में
1	पत्रिका निधि	मै0 जमवाल प्रिंटर्स चण्डीगढ़। बिल सं0 1190 दिनांक 03.04.06 वा0सं0 1141	900 पत्रिकाएं	24300
2	पत्रिका निधि	मै0 न्यू टैंक ट्रेडर्स, नालागढ़ बिल सं0 226 दिनांक 14.06.07	850 पत्रिकाएं	28288
3	पत्रिका निधि	—यथोपरि— बिल नं0 597 दिनांक 19.9.08	750 पत्रिकाएं	24960
4	पत्रिका निधि	—यथोपरि— बिल नं0 458 दिनांक 08.07.09	700 पत्रिकाएं	24752
5	पत्रिका निधि	—यथोपरि— बिल नं0 415 दिनांक 12.7.	1500	71662.50

		11	पत्रिकाएं	
6	पहचान पत्र निधि	–यथोपरि– बिल सं0 638 दिनांक 18.08.09	1500 पत्रिकान पत्र	14820
7	पहचान पत्र निधि	मै0 जमवाल प्रिंटर्स चण्डीगढ़ बिल सं0 2305 दिनांक 17.06.10	4000 पहचान पत्र	32000
8	पहचान पत्र निधि	मै0 शक्ति इंडस्ट्रीज अकोला 444001 बिल सं0 4585 दिनांक 14.05.12	3000 पहचान पत्र	13500
9	गृह परीक्षा (House Examination)	मै0 जमवाल प्रिटंर्स चण्डीगड़ बिल सं0 1991 दिनांक 14.11.09	10000 उत्तर पुस्तिकाएं	72000
10	गृह परीक्षा	–यथोपरि– बिल सं0 1992 दिनांक 14.11.09	74 प्रश्न पत्र	19648
11	–यथोपरि–	सुदर्शना प्रिंटिंग चण्डीगढ़ बिल सं0 519 दिनांक 27.1.09	78 प्रश्न पत्र	16879
12	–यथोपरि–	मै0 जमवाल प्रिटर्स चण्डीगढ़ बिल सं0 2598 दिनांक 10/2010	20000 उतर पुस्तिकाएं	100950
13	–यथोपरि–	मै0 जमवाल प्रिंटर्स चण्डीगढ़ बिल सं0 2608 दिनांक 11/2010	77 प्रशन पत्र	228050
14	–यथोपरि–	मै0 न्यू टैंक पिंटर्स नालागढ़ बिल सं0 51 दिनांक 26.12.12	10000 उत्तर पुस्तिकाएं	71400
			कुल योग	**537964.50**

31 **<u>नियमानुसार खरीद न किए जाने बारेः–</u>**

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में एक प्रकार की वस्तुओं की खरीद एक ही तिथि को एक ही विक्रेता से मांग को विभजित करके की गई ताकि खरीद हेतु आवश्यक निविदाऐं एकत्रित/आमन्त्रित करने सम्बन्धी औपचारिताऐं (Codal formalting) पूरा करने से बचा जा सके तथा बिल/कैश मैमो की

राशि ₹3000/—से कम रखी जा सके जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार (वित्त विभाग) (रेगुलेशन) की अधिसूचना संख्या फिन (सी)ए(3) 5/2005, शिमला—171002 दिनांक 12.8.09 के नियम 98 में दिए गए निर्देशों की सीधे तौर पर अवहेलना है। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवा के आगामी अंकेक्षण में अवगत कराया जाए। भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गए निर्देशों की कढ़ाई से अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	**वा0सं0/दिनांक**	**राशि (₹)**	**विक्रेता का नाम**	**विवरण (जिन बिलों/कैश मैमो द्वारा खण्डों में भुगतान किया गया)**
1	191/1.12.11	4289 (जितना भुगतान किया गया)	बौबी इन्टरप्राईसिस नालागढ़	संख्या 189 दिनांक 18.11.11=1066 संख्या 7 दिनांक 18.11.11=2960 संख्या 9 दिनांक 18.11.11=265 कुल =4291 विभिन्न स्टेशनरी की वस्तुएं जिनकी एक ही तिथि को कुल खरीद ₹3000/—से अधिक बनती है।
2	203/28.12.11	7640 (2640+2200+2800)	आकृति फैन्सी ड्रेसिंस पंचकुला	संख्या 110 दिनांक 31.10.11=2800 (तिथि 31.10.11 बदली हुई प्रतीत होती है) कुल 5000 ड्रेसिस कुल खरीद ₹3000 से अधिक बनती है।
3	1969/03/2011	8014 (2976+2625+2413)	मै0 महेश हार्डवेयर नालागढ़	बिल सं0 254 दिनांक 3.2.11 ₹2976 बिल सं0 270 दिनांक 3.2.11 ₹2625 बिल सं0 269 दिनांक 3.2.11 ₹2413 पानी की पाईपों के मुरम्मत का सामान जिसकी कुल खरीद ₹3000/—से अधिक बनती है।

32 बिलों/कैश मैमो पर नियमानुसार आवश्यक प्रमाण पत्र न दिए जाने बारेः–

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि अधिकतम बिलों/कैश मैमों पर हिमाचल प्रदेश सरकार, फाईनैन्स (रेगुलेशन) डिपार्टमैन्ट, अधिसूचना संख्या फिन (सी)ए(3) 5/2005, शिमला–171002 दिनांक 12.8.09 के नियम संख्या 97 तथा 98 द्वारा वांन्छित प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे है जोकि सरकारी निर्देशों की सीधे तौर पर अवहेलना है। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियमों में दिए गए निर्देशों की नियमित रूप से अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए।

33 किये गए भुगतान से सम्बन्धित रसीदें अभिलेख में न पाई जानाः–

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि नियमित रूप से विक्रेताओं के पक्ष में उनके बिलों के भुगतान के लिए उनसे रसीदें प्राप्त नहीं की जा रही है। जोकि नियमानुसार प्राप्त की जानी अनिवार्य है। अतः निम्न प्रकरणों में सम्बन्धित विक्रेताओं से रसीदें प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए तथा भविष्य में विक्रेताओं से किए गए भुगतान हेतु नियमित रूप से रसीदें लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	वा0सं0/दिनांक	राशि ₹ में
1	1425 एवं 1426/12/08	1850
2	196/12/11	2331
3	203/12/11	7640
4	207/12/11	2312
5	1966/03/11	₹32540

34 ₹43.00 की राशि सरचार्ज के रूप में अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान वाऊचर संख्या 11 दिनांक 29.12.11 ₹2242/– (रोकड़ वही, बोयज होस्टल) (Boys Hostel) की पड़ताल के दौरान पाया गया कि बिजली के बिल का भूगतान देय तिथि के पश्चात करने के कारण ₹43.00 की राशि सरचार्ज के रूप में भुगतान की गई जोकि नियमानुसार सही नहीं है। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा

देरी से बिल जमा करने बारे जिम्मेवारी निर्धारित करके सम्बन्धित कर्मचारी से ₹43.00 वसूल करके जमा करवाए जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए।

35 वाऊचर/कैश मैमो/बिल संलग्न न पाए जाने बारेः–

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निमनलिखित प्रकरणों में वाऊचर के साथ कैश मैमों/बिल जिसके आधार पर विक्रेता को भुगतान किए गए संलग्न नहीं पाए गए। अतः' इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इनका आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्ततु किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रोकड़ वही	वा0सं0/दिनांक	राशि (₹)	विक्रेता का नाम	जो वाउचर/कैश मैमो/बिल संलग्न नहीं पाया गया ।
1	मिश्रित निधि	1360/12/08	10/76 (312+350+364)	मैसर्ज सत्यम कम्पयूटरज नालागढ़	₹350 का
2	मिश्रित निधि	1364/12/08	486	–	वाचउर सम्बन्धित वाऊचर फाईल में सलग्न नहीं पाया गया
3	बेयज होस्टल (Boys Hostel)	10/8.12.11	955	सौढ़ी कनफैक्शनरी स्टोर, नालागढ़	₹955 का
4	मिश्रित निधि	1947/03/11	13376	बिजली के बिल	₹13376.00 के बिजली के बिल

36 स्टोर/स्टॉक बारेः–

अंकेक्षण के दौरान स्टोर/स्टॉक से सम्बन्धित अभिलेख के रख–रखाव में निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गईः–

(i) यह पाया गया कि विभिन्न स्टोर/स्टॉक तथा स्टेशनरी से सम्बन्धित वस्तुओं की प्रविष्टियॉ एक ही रजिस्टर में की जा रही है। अलग–2 वस्तुओं की प्रविष्टियॉ अलग–2 पृष्ठों पर न करके एक साथ की जा रही है जिस कारण विभिन्न वस्तुओं के आरम्भिक तथा अन्तिम शेषों के बारे स्थिति स्पष्ट नहीं होती है जबकि नियमानुसार स्टोर/स्टॉक तथा स्टेशनरी की वस्तुओं के लिए अलग–2 लेखा प्रत्येक वस्तु के शेष दर्शाए जाना अनिवार्य है। आवश्यक अभिलेख नियमानुसार तैयार किया जाए।

(ii) अंकेक्षण के दौरान स्टोर/स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार (वित्त विभाग (रेगुलेशन) की अधिसूचना संख्या फिन (सी)ए (3)5/2005 शिमला–171002 दिनांक 12.8.09 के नियम 140 तथा 141 में दिए गए निर्देशों तथा प्रक्रिया के अनुसार प्रत्यक्ष सत्यापन प्रत्येक वर्ष में किए जाना अनिवार्य है। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन अविलम्ब करके भविष्य में इस नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित वाउचरों द्वारा खरीदी गई विभिन्न स्टोर/स्टॉक की वस्तुओं तथा टैलीफोन/बिजली के बिलों की प्रविष्टियों सम्बन्धित रजिस्टरों में नहीं दिखाई गई जिनका आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	वा0सं0/दिनांक	राशि (₹)
1	1425 तथा 1426/07.5.09	1850
2	1427/08.5.09	383
3	1428/8.5.09	869
4	194/14.12.11	15630
5	196/14.12.11	2331
6	197/15.12.11	3246
7	200/27.12.11	2500
8	203/28.12.11	7640
9	205/30.12.11	250

10	206 / 30.12.11	2325
11	207 / 30.12.11	2312
12	208 / 30.12.11	3812
13	1430 / 20.5.09	9278
14	1363 / 20.12.08	10360
15	1431 / 20.5.09	1883
16	1362 / 20.12.08	1209
17	193 / 14.12.11	872
18	1958 / 3 / 11	13408

37 कालातीत लाईब्रेरी स्क्योरिटी को जब्त न करनाः—

अंकेक्षण के दौरान अधियाचना संख्या 41 दिनांक 26.11.12 द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कालातीत हो चुकी लाईब्रेरी स्कयोरिटी का विवरण मांगा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक यह जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा समस्त कालातीत लाईब्रेरी स्कयोरिटी का विवरण तैयार करके इस राशि को जब्त किया जाना व इसका उपयोग हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता 2001 क अनुच्छेद 4:6:13 को ध्यान में रखते हुए उपयोग भी किया जाए।

38 जमा राशियों का सरकारी कोष के साथ मिलान न करनाः—

अंकेक्षण के दौरान प्राप्त प्रवेश शुल्क, पुनः प्रवेश शुल्क, विलम्ब शुल्क तथा शैक्षणिक शुल्क की राशि विभिन्न चालानों के द्वारा सरकारी कोष में जमा करवाई गई परन्तु संस्था द्वारा समय—2 पर करवाई गई जमा राशियों का आवश्यक मिलान सम्बन्धित कोष कार्यालय से जमा सम्बन्धी आवश्यक विवरण प्राप्त करके मिलान नहीं किया गया जिससे जमा करवाई गई राशियों की आवश्यक पुष्टि नहीं हो पाई। सरकारी कोष के साथ आवश्यक मिलान न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व आवश्यक कार्यवाही करके इस विभाग को अवगत करवाऐं।

39 प्राप्त की गई छात्रावास फीस (House Fee) का सरकारी कोष में जमा न किए जाने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों में आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि होस्टल फीस जो कि नियमानुसार सरकारी कोष (Govt. Treasuary) में जमा करवाई जानी आपेक्षित थी सरकारी कोष में जमा नहीं करवाई गई। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अभिलेखानुसार महाविद्यालय में छात्रावास की सुविधा के आरम्भ करने की तिथि के पश्चात छात्र तथा छात्राओं से जितनी होस्टल फीस प्राप्त की गई है उसे सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत कराया जाए तथा भविष्य में होंस्टल फीस का सरकारी कोष में नियमित रूप से जमा किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

40 रसीदों के स्टॉक रजिस्टर बारेः—

अंकेक्षण के दौरान रसीदों से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गईः—

(i) यह पाया गया कि स्टॉक रजिस्टर का दिनांक 31.7.2010 के बाद रख—रखाव नहीं किया गया था। दिनांक 31.7.2010 (पृष्ठ संख्या—15) को रसीद संख्या 32001 से आगे इस्तेमाल दिखाया गया था परन्तु उसके बाद रजिस्टर में एक भी प्रविष्टि नहीं की गई थी। जबकि निधि संग्रह रजिस्टर (विभिन्न निधियां) में जनवरी/फरवरी 2012 में रसीद संख्या 35701 से आगे इस्तेमाल की जा रही थी जिसकी प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई थी नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर का नियमित रूप से रख—रखाव तथा उसमें की गई प्रविष्टियों का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाए।

(ii) छात्रावास की रोकड़ वही में दिनांक 11.7.09 से 31.3.12 तक रसीद संख्या 1 से 55 तक इस्तेमाल की गई थी। यह रसीद बुक (1 से 100) नई प्रिन्ट करवाई गई प्रतीत होती है जिसकी नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी आपेक्षित थी जोकि नहीं की गई। अंकेक्षण अवधि के दौरान जितनी भी रसीद बुक्स प्राप्त की गई या छपाई गई तथा जारी की गई थी उनकी प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में की जाए।

(iii) स्टॉक रजिस्टर में कुल पृष्ठों की संख्या का सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा रजिस्टर के आरम्भ में नहीं किया गया है जिस अविलम्ब किया जाए।

41 प्रयोगशालाओं में रसायनों की खपत के मानदंड प्रस्तुत न किए जाने बारेः—

महाविद्यालय की विभिन्न प्रयोगशालाओं में रसायनों की खपत के मानदंडों तथा दैनिक खपत बारे सूचना अंकेक्षण अधियाचना संख्या 45 दिनांक 11.12.12 द्वारा मांगी गई थी। महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई के अनुसार रसायनों की खपत के कोई भी मांनदंड/दैनिक खपत विवरण तैयार नहीं किए गए है तथा अनुमान के आधार पर ही खपत को दर्शाया गया। जो कि उचित प्रतीत नहीं होता। बिना उचित मानदंडों दैनिक खपत विवरण के रसायनों की अनुमानित/वास्तविक खपत का निर्धारण कैसे किया जा रहा है स्वतः स्पष्ट नहीं होता। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में प्रतिदिन के आधार विभिन्न मदों का प्रयोग विवरण माहवार तैयार करके खप्त को दर्शाया जाए।

42 लघु आपत्ति विवरणिका :— अलग से जारी नहीं की गई हैं।

43 निष्कर्ष :— खातों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(11)(4)21/75—खण्ड—6 दिनांक, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत 1. प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को शीघ्र भेजें ।
2. प्रधान सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला—171002
3. निदेशक, शिक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला—171001.
4. श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा.....................................

हस्ता/—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला—171009.